तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./8262/2006/सवाई माधोपुर राजस्थान सरकार बनाम गंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित :–

श्रीमति सविता चौहान, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।

श्री शैलेन्द्र राणा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 20–10–2021

हस्तगत रेफरेंस धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 14–8–2006 से राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमिधारी तहसीलदार, सवाई माधोपुर ने जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष अप्रार्थी के विरूद्ध रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 के अनुसार ग्राम बिलोपा में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 458 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी । तत्पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त खसरा नंबर में से रकबा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 767, 803, 804, 805 रकबा 0.19 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/नियमन कर जरिए गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 3–6–76 अप्रार्थी गंगाराम उर्फ गंगाधर पुत्र पन्ना मीना का नाम दर्ज किया गया। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2060–2063 में खसरा नंबर 767, 803, 804, 805 रकबा 0.19 हेक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी गंगाराम पुत्र पन्ना मीना साकिन देह खातेदार दर्ज है । उक्त भूमि, जिसकी किस्म नाला है, पर खातेदारी दर्ज कर दी गई है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./8262/2006/सवाई माधोपुर राजस्थान सरकार बनाम गंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा 16 के तहत ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी नाले, ताल, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है । इसलिए अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज इन्द्राज अवैध एवं प्रभाव शून्य होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त इन्द्राज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित रिट याचिका संख्याः 1536/03 उनवान 'अब्दुल रहमान बनाम सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 28–7–04 में प्रतिपादित व्यवस्थाओं के विपरीत है। अतः उक्त भूमि की दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड के अनुसार पुनः बहाल करते हुए रेफरेंस स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। 3– विद्वान योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदी, नाले, झीले ओर तालाब जैरआब की भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है जिन पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं । अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जावें। 4– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने तर्क दिया कि विवादित भूमि कभी भी नाले की भूमि नहीं रही है । विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी काश्त की है जिस पर उसके द्वारा काश्त की जाकर जीविकोपार्जन किया जा रहा है । यह रेफरेन्स अत्यधिक विलम्ब से पेश किया गया है । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014 पृष्ठ 126 प्रस्तुत कर रेफरेन्स निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./8262/2006/सवाई माधोपुर राजस्थान सरकार बनाम गंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5— हमनें उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 के अनुसार ग्राम बिलोपा में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 458 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी । तत्पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त खसरा नंबर में से रकबा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 767, 803, 804, 805 रकबा 0.19 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/नियमन कर जरिए गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 3—6—76 अप्रार्थी गंगाराम उर्फ गंगाधर पुत्र पन्ना मीना का नाम दर्ज किया गया। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2060—2063 में खसरा नंबर 767, 803, 804, 805 रकबा 0.19 हेक्टेयर किस्म नहरी भूमि पर अप्रार्थी गंगाराम पुत्र पन्ना मीना साकिन देह खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि गैर मुमकिन नाला की है जो जलप्रवाह के काम आती है। ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(2) के तहत् नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित है तथा किसी व्यक्ति की गैर खातेदारी/ खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार है — 16 **Land on which khatedari rights shall not accrue –Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accure in-** **(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank.**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./8262/2006/सवाई माधोपुर राजस्थान सरकार बनाम गंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त प्रावधानों के विपरीत भूमि किस्म गैर मुमकिन नाला की भूमि बिला लगानी दर्ज कर जरिए आवंटन/नियमन अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया वह विधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित रिट याचिका संख्याः 1536/03 उनवान 'अब्दुल रहमान बनाम सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 02–8–2004 में प्रतिपादित व्यवस्थाओं के विपरीत है।

चूँकि यह युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजियात भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (ii) निम्न प्रकार है –

" 4 Land not available for allotment under these rules- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purpose under these rules, namely-

(ii) Land mentioned in the Section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि नदी/नाला/तालाब की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। 1970 के उक्त नियमों के नियम 4 में शामिल भूमियों को नियमन योग्य नहीं माना है। इस प्रकार नाला, नदी, तालाब की भूमि न तो आवंटन योग्य है और न ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है । इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लोकहित याचिका संख्या 1536/2003

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./8262/2006/सवाई माधोपुर राजस्थान सरकार बनाम गंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनवानी श्री अब्दुल रहमान बनाम राज्य शासन निर्णय दिनांक 2/8/2004 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस प्रकरण में निम्न अभिमत प्रकट किया हैः— **All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.** **----In the Government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the Government. "** यह न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के प्रकाश में इस रेफरेंस प्रकरण का निर्णय करना उचित समझता है। इस प्रकरण में भी प्रश्नगत भूमि की किस्म नाला की थी तथा विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत भूमि को अप्रार्थी को आवंटन करते हुए खातेदारी में दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रभाव से ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इस प्रकार अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में किये गये इन्द्राजों की समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं शून्य प्रभावी है।रेफरेन्स प्रस्तुत करने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते है। 7— उक्त विवेचन के परिणामस्वरुप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बिलोपा तहसील सवाई माधोपुर में स्थित हाल खसरा नंबर 767, 803, 804, 805 की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./8262/2006/सवाई माधोपुर राजस्थान सरकार बनाम गंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि अप्रार्थी को आवंटन की गयी है, उक्त आवंटन खसरा नंबर 767, 803, 804, 805 रकबा 0.19 हेक्टेयर की सीमा तक निरस्त किया जाता है एवं नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 3–6–1976 भी निरस्त किए जाते हैं। विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में, पुनः सिवायचक भूमि किस्म नाला दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर)** **सदस्य**	